दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 22.03.2024
निर्णय उद्घोषित: 28.03.2024

<u>कि.नि.पु 248/2023, सि.वि. आ. 1244/2024 और 47482/2023</u>

कुलवंत सिंह ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चंद्रकांत त्यागी, याचिकाकर्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता।

बनाम

विकास आहुजा ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री राजेश भाटिया और श्री हेमंत कक्कड़, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

<u>गिरिश कठपालिया, न्या.</u>

1. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 25ख(8) के प्रावधान के तहत लाई गई इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा दिनांक 16.05.2023 को पारित बेदखली आदेश पर अभ्याक्रमण किया है क्योंकि याचिकाकर्ता/किरायेदार अधिनियम की धारा 14(1)(ङ) के तहत कार्यवाही का प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन

दायर करने में विफल रहे हैं। इन कार्यवाहियों के नोटिस पर, प्रत्यर्थी/मकान मालिक अधिवक्ता के द्वारा पेश हुए। मैंने दोनों पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना और डिजिटलीकृत विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड की जांच की।

2. संक्षेप में, वर्तमान प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं।

2.1 वर्तमान प्रत्यर्थी स्वयं को परिसर संख्या ए.एफ.-6ए, भूतल, जनता फ्लैट्स, शालीमार बाग, दिल्ली (इसके बाद "विषयगत परिसर" के रूप में संदर्भित) के मालिक होने का दावा करता है, ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 14(1)(ङ) के तहत बेदखली याचिका दायर की है, जिसमें अभिवाक किया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता को 01.05.2010 से केवल 11 महीने की अवधि के लिए विषयगत परिसर में किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उस अवधि की समाप्ति के बावजूद, उसने विषयगत परिसर खाली नहीं किया, इसलिए वर्तमान प्रत्यर्थी ने कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए सिविल वाद दायर किया है, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 50 के तहत वर्जित किया गया था; कि वर्तमान प्रत्यर्थी को अपने और अपने परिवार जिसमें उसकी पत्नी और 24 और 21 वर्ष की आयु के दो बेटे शामिल हैं, के लिए विषयगत परिसर की वास्तविक आवश्यकता है; कि वर्तमान प्रत्यर्थी वर्तमान में पहली मंजिल परिसर सं.2103, आउट्रम लेन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली

और उक्त संपत्ति की दूसरी मंजिल उसकी माँ के उपयोग और कब्जे में है और यह कि वर्तमान प्रत्यर्थी के पास उचित रूप से कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास नहीं है।

2.2 रिकॉर्ड के अनुसार, अतिरिक्त किराया नियंत्रक के निर्धारित प्रारूप में समन जारी करने के विशिष्ट आदेश के बावजूद, उस न्यायालय के अहलमद ने विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन जारी किया, जैसा कि सिविल वादों में जारी किए जाते हैं। उन समनों की तामील पर, वर्तमान याचिकाकर्ता कुछ तारीखों पर पेश होता रहा और यहां तक कि लिखित बयान भी दायर किया, लेकिन उसके बाद उसने पेश होना बंद कर दिया।

2.3 कुछ तारीखों के बाद, अतिरिक्त किराया नियंत्रक को गलत प्रारूप में समन जारी करने का एहसास हुआ, इसलिए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में नए समन जारी करने का आदेश दिया गया और जारी किया गया। निर्धारित प्रारूप में उक्त समन वर्तमान याचिकाकर्ता को उसके भाई अनिल कुमार द्वारा विषयगत परिसर में 23.11.2021 को दिया गया था। इसके बाद ही, वर्तमान याचिकाकर्ता अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष पेश हुआ, लेकिन उसने प्रतिवाद करने की अनुमति मांगने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं करने का विकल्प चुना।

2.4 अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष, वर्तमान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनिल कुमार, जिसने निर्धारित प्रारूप में समन प्राप्त किया था, उसका

भाई नहीं है और वह उसकी ओर से समन स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस तर्क को तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज करते हुए, अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने आक्षेपित बेदखली आदेश पारित करते हुए कहा कि चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता समन तामील करने के बावजूद प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर नहीं किया, इसलिए बेदखली याचिका में वर्तमान प्रत्यर्थी की अभिवाकों को स्वीकार कर लिया गया है।

2.5 इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. बहस के दौरान, याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे उपरोक्त रिकॉर्ड दिखाया और तर्क दिया कि चूंकि निर्धारित प्रारूप में समन की तामील वर्तमान याचिकाकर्ता को नहीं किया गया था, इसलिए उसके पास प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने का कोई अवसर नहीं था। याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने भी वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त किराया नियंत्रक को लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में मानना चाहिए था, जैसा कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने वाद शीर्षक ***श्री रामबीर सिंह बनाम श्रीमती बलवंत कौर चौधरी और अन्य,*** 2010:डीएचसी:2111 मामले में अभिनिर्धारित किया था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/मकान मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित बेदखली आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता/किरायेदार की

ओर से उद्धृत न्यायिक मिसाल पूरी तरह से अलग है। प्रत्यर्थी/मकान मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता/किरायेदार कार्यवाही को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की छूट का हकदार नहीं है।

5. इस विधिक प्रतिपादना पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित समय केवल किरायेदार या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में समन तामील करने पर ही शुरू होगा। वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या उक्त अनिल कुमार, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने समन प्राप्त किया था, ने याचिकाकर्ता/किरायेदार के भाई और/या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे प्राप्त किया था।

6. इस मुद्दे पर, नीचे दिए गए अनुसार विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को देखना उचित होगा।

6.1 वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा दायर बेदखली याचिका को पहली बार विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष 08.08.2019 को सूचीबद्ध किया गया था और उसके पंजीकरण का निर्देश देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने वर्तमान याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रारूप में समन जारी करने का निर्देश दिया, जिसका जवाब 16.10.2019 को देना था। 16.10.2019 को, वर्तमान

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज की, जिन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया।

6.2 अगली तारीख 09.01.2020 को, वर्तमान प्रत्यर्थी की ओर से बेदखली आदेश पारित करने के लिए 13.12.2019 को दायर पहले आवेदन पर विचार किया गया और जवाब और बहस के लिए दिनांक 22.01.2020 दर्ज किया गया था। 22.01.2020 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक छुट्टी पर होने के कारण, कोर्ट रीडर द्वारा मामले को 15.02.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 15.02.2020 पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान प्रत्यर्थी के दिनांक 13.12.2019 के उक्त आवेदन को बहस के लिए दिनांक 27.05.2020 दर्ज किया गया था।

6.3 जाहिरा तौर पर, उसके बाद कोविड प्रेरित लॉकडाउन के कारण, मामला स्थगित होता रहा। 22.07.2020 को, चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा मामले को 06.08.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

6.4 06.08.2020 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने एहसास किया और आदेश में दर्ज किया कि दिनांक 08.08.2019 के आदेश में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, अहलमद ने विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए गलत तरीके से समन जारी किया था, जिसके अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता ने लिखित बयान दायर किया था, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रारूप में नया

समन जारी किया जाए, जिसका जवाब 17.10.2020 को दिया जाए और अहलमद को भविष्य में सावधान रहने के लिए कहा जाए।

6.5 17.10.2020 को, संबंधित न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण के बाद कोई अतिरिक्त किराया नियंत्रक नहीं होने के कारण, मामले को कोर्ट रीडर द्वारा 07.11.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 07.11.2020 को भी वही स्थिति थी, मामले को कोर्ट रीडर द्वारा 05.12.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

6.6. 05.12.2020 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने वर्तमान याचिकाकर्ता को 18.03.2021 पर वापस करने योग्य निर्धारित प्रारूप में समन जारी करने का पुनः निर्देश दिया। दिनांक 18.03.2021 को वर्तमान याचिकाकर्ता को भेजा गया समन इस रिपोर्ट के साथ बिना तामील हुए वापस आ गया कि परिसर में ताला लगा हुआ है, इसलिए वर्तमान प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान याचिकाकर्ता लिखित बयान दायर करने के बावजूद जानबूझकर समन तामील करने से बच रहा था, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने निर्धारित प्रारूप में नए समन जारी किए जो 05.06.2021 पर वापस करने योग्य थे और वर्तमान प्रत्यर्थी को आदेशिका तामीलकर्ता के साथ जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

6.7 लेकिन कोविड प्रेरित लॉकडाउन के कारण, वे समन जारी नहीं किया जा सका और मामला स्थगित कर दिया गया। 21.10.2021 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने एक बार फिर वर्तमान याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रारूप में समन जारी करने का निर्देश दिया, जिसका जवाब 15.01.2022 को देना था।

6.8 15.01.2022 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने दर्ज किया कि अहलमद रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता को समन जारी किया गया था, और वर्तमान प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले को आगे विचार के लिए 26.03.2022 दर्ज किया गया था; दिनांक 15.01.2022 के आदेश श्रुतलेख के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से एक अधिवक्ता उपस्थित हुआ और उसे आदेश से अवगत कराया गया।

6.9. 26.03.2022 को, मामला दोनों पक्षकार की उपस्थिति में 18.05.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक छुट्टी पर थे। इसके बाद, 18.05.2022, 30.07.2022, 03.09.2022 और 29.10.2022 को भी मामला स्थगित होता रहा।

6.10. 19.11.2022 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने यह दर्ज करने के बाद मामले को 05.01.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया कि निर्धारित प्रारूप में समन की तामील के बावजूद, वर्तमान याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ था और उसने प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर नहीं किया था।

6.11. 05.01.2023 को, पहली पुकार पर, वर्तमान प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए मामले को आगे बढ़ा दिया गया; दूसरी पुकार अपराह्न 1:00 बजे पर वर्तमान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित हुए और वकालतनामा दाखिल करने के बाद समन की तामील के संबंध में न्यायालय को अवगत कराने के लिए अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए स्थगन ले लिया।।

6.12. अगली तारीख 03.02.2023 को, दोनों पक्षकार की उपस्थिति में, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने दर्ज किया कि निर्धारित प्रारूप में समन की तामील अनिल कुमार नामक व्यक्ति को की गई थी, जिसने आदेशिका तामीलकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार खुद को वर्तमान याचिकाकर्ता का भाई होने का दावा किया था, हालांकि वर्तमान याचिकाकर्ता ने अनिल कुमार के साथ किसी भी संबंध से इनकार करते हुए शपथ-पत्र दायर किया था।

6.13 अगली तारीख 25.02.2023 को, दोनों पक्षकार की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने मामले के आदेश/स्पष्टीकरण के लिए 18.03.2023 दर्ज किया। स्पष्टीकरण के बाद 18.03.2023 को, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा मामले को 03.04.2023 तक के लिए और उसके बाद 25.04.2023 और उसके बाद 16.05.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

6.14 अंततः 16.05.2023 को वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने आक्षेपित आदेश

पारित किया, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता को विषयगत परिसर से बेदखल करने का निर्देश दिया गया क्योंकि उन्होंने कार्यवाही का प्रतिवाद करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर नहीं करने का विकल्प चुना था।

7. पहली बात तो यह है कि, याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***रामबीर सिंह (पूर्वोक्त)*** के मामले में दिया गया फैसला पूरी तरह से अलग है। उक्त मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष मुद्दा विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक का आदेश था, जिसमें किरायेदार द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित प्रारूप में नए समन जारी करने या प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने के लिए 15 दिनों का समय देने या लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति के आधार के रूप में लेने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में मानने के लिए विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक के सामने कभी फुसफुसाया भी नहीं। 05.01.2023 को वर्तमान याचिकाकर्ता को विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि निर्धारित प्रारूप में समन उसे अनिल कुमार के द्वारा दिया गया था। इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही 06 सुनवाई तारीखों तक स्थगित कर दी गई। वर्तमान याचिकाकर्ता (*जो अब चाहता है कि*

उसके लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में समझा जाए) कुछ भी प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने से नहीं रोक सकता है, भले ही वह आवेदन विलम्ब से किया गया हो या उसके लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में माना जाने की मांग करने वाला आवेदन हो।

8. ***रामबीर सिंह (उपरोक्त)*** के उक्त मामले में घटनाओं का क्रम यह था कि बेदखली याचिका के पंजीकरण के बाद पहली ही तारीख 01.03.2006 को किरायेदार को सामान्य प्रक्रिया द्वारा समन जारी किया गया था जिसका जवाब 18.05.2006 को देना और वह किरायेदार को 17.03.2006 को प्राप्त हुआ था, इसलिए 05.05.2006 को किरायेदार ने इसे दाखिल करने में देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ लिखित बयान दायर किया; कि 18.05.2006 को, मकान मालकिनों ने अधिनियम की धारा 25ख(2) और (3) के तहत किरायेदार को बिना कोई प्रति दिए गुप्त रूप से आवेदन दायर किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण, आवेदन को 22.05.2006 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था; कि 22.05.2006 को निर्धारित प्रारूप में नए समन जारी करने का निर्देश दिया गया था जिसका जवाब 13.07.2006 को देना था और उक्त समन किरायेदार को 27.05.2006 को प्राप्त हुए थे; कि कुछ भ्रम के तहत किरायेदार गलत धारणा में रहा कि लिखित बयान दायर करने के बाद, उसने वह सब कुछ कर दिया था जो कानून में उससे अपेक्षित था; कि

12.07.2006 को, किरायेदार ने निर्धारित प्रारूप में प्राप्त समन को अपने अधिवक्ता को दिखाया और उस स्तर पर, किरायेदार ने दिनांक 19.07.2006 को आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया और समन्वय पीठ के समक्ष चुनौती दी गई। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, याचिकाकर्ता/किरायेदार लिखित बयान दाखिल करके घटनास्थल से गायब हो गया और वह बार-बार निर्धारित प्रारूप में भेजे गए समन से बचता रहा। दोहराता हूँ कि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता/किरायेदार ने किसी भी स्तर पर अनुरोध नहीं किया कि उसके लिखित बयान को प्रतिवाद करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन के रूप में समझा जाय।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय के किसी भी कार्य से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान मामला ऐसा है, जिसमें संबंधित मुवक्किल दोषपूर्ण समन के मुद्दे को उठाने के लिए कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा रहा। इतना ही नहीं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने समन के प्रारूप के संबंध में अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि का एहसास होने के बाद, निर्धारित प्रारूप में नए समन जारी किए और वह भी बार-बार क्योंकि याचिकाकर्ता/किराएदार इसको तामील करने से बचते रहे।

10. यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता/किरायेदार ने याचिका की विषय-वस्तु की जांच किए बिना लिखित बयान दायर किया, जो

स्पष्ट रूप से दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अध्याय IIIक के तहत संक्षिप्त कार्यवाही से संबंधित है। उस स्तर पर, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने ***रामबीर सिंह*** (पूर्वोक्त) के मामले में दायर आवेदन के समान किसी भी आवेदन के साथ न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से आने के बजाय उपस्थित होना ही बंद कर दिया, अन्यथा निर्धारित प्रारूप में नए समन की तामिल व्यक्तिगत रूप से उसे न्यायालय में ही किए जाते।

11. याचिकाकर्ता की ओर से लिया गया रुख कि अनिल कुमार, जिसने निर्धारित प्रारूप में सही समन प्राप्त किया था, याचिकाकर्ता/किरायेदार से संबंधित नहीं था, सच प्रतीत नहीं होता है। जैसा कि डिजिटलीकृत विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के पीडीएफ पृष्ठ संख्या 167 से पता चलता है, यहां तक कि पहला समन (जो निर्धारित प्रारूप में नहीं था) भी अनिल कुमार ने ही प्राप्त किया था और निस्संदेह याचिकाकर्ता/किरायेदार ने उसी के आधार पर, अपना लिखित बयान भी दाखिल किया था। केवल इतना ही नहीं, यह भी विवादित नहीं है कि सभी समन - निर्धारित प्रारूप में या अन्यथा विषयगत परिसर में ही तामील किए गए थे और यहां तक कि याचिकाकर्ता/किरायेदार द्वारा दायर लिखित बयान भी उसी पते का था। इसलिए, मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि याचिकाकर्ता/किरायेदार को निर्धारित प्रारूप में समन तामील नहीं किया गया था।

12. अतः, वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से निर्धारित प्रारूप में समन तामील के बावजूद प्रतिवाद करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने में विफलता के कारण, विद्वान अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने बेदखली याचिका की विषय-वस्तु को सही रूप से स्वीकार किया। आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाता है। तदनुसार, याचिका के साथ-साथ लंबित आवेदन भी खारिज किए जाते हैं।

गिरीश कठपालिया
(न्यायाधीश)

28 मार्च, 2024/*आर.वाई./ए.एस.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*